भारत सरकार

Government of India परमाण् ऊर्जा विभाग

Department of Atomic Energy राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

Raja Ramanna Centre for Advanced Technology सामान्य प्रशासन प्रकोष्ठ

General Admin Cell

डाकघर: केट /PO: CAT

इंदोर: 452 013/Indore-452 013

Ref: No 14/5/2020-GAC/520

June 16, 2021

Subject: Preventive measures to contain spread on Novel Coronavirus (COVID-19) attendance in Central Government Officers – regarding.. *****

Reference is invited to RRCAT Circular No. 14/05/2020-GAC dated 12/06/2021 on the above subject, in the pursuance of District Magistrate & Collector, Indore Order dated 11.06.2021.

- 2. Now in accordance with the guidelines issued by Additional Chief Secretary, Home Ministry, Madhya Pradesh vide Order No. 35-0922020/2/C-2 dated 15.06.2021 to respective District Magistrate & Collector and District Magistrate & Collector, Indore order No. 2719/री.ए.डी.ए/2021 dated 16.06.2021, the following directions are issued for implementation in RRCAT with immediate effect:-
 - (i) RRCAT will function with 100% attendance of Officers and employees, w.e.f. 16.06.2021.
 - (ii) Employees attending office shall observe staggered timing in following three shifts:

a. General Shift 1

08:30 - 17:00 hrs.

b. General Shift 2

09:00 - 17:30 hrs.

c. General Shift 3

09:30 - 18:00 hrs.

(iii) The shifts for the employees will be allotted by respective HODIS/Functional Heads in one third manner of their respective employees' strength in each shift so as to avoid crowding and ensure distancing at Colony Main Gate and Guard House.

:

(iv) All employees are required to follow COVID-19 related precautions and guidelines issued from time to time by Ministry of Home Affairs and Local Administration viz. wearing of mask, social distancing, use of sanitizer and frequent hand washing with soap and water.

Continue on page 2.....

3. Above directions will come into effect from 16.06.2021 and will remain in force until further orders issued by the DM & collector, Indore after review of COVID – 19 situation.

This issues with the approval of Director, RRCAT.

(D. C. Meena)

For Chief Administrative Officer

All Group Directors,
All Associate Directors,
All Division Heads/Section Heads/Lab Heads, RRCAT
Mail All

Copy to: -

- 1. Office of Director, RRCAT
- 2. Regional Director (P&S), RRCAT
- 3. Dy. Controller of Accounts, RRCAT
- 4. Dy. Commandant, CISF, RRCAT
- 5. Dy. Chief Security Officer, RRCAT



कार्यालय जिला दण्डों विकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /2713/री.ए.डी.ए / 2021

इन्दौर, दिनांक 16.06.2021

//संशोधित आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल, दिनांक 15 जून 2021 के क्रम में कार्यालयीन आदेश कमांक/2663-2664/री.ए.डी.एम./2021, इन्दौर, दिनांक 11.06.2021 को जिलादण्डाधिकारी, इन्दौर के आदेशानुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है ::--

- समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मण्डल के कार्यालय 100% अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति में संचालित हो सकेंगे।
- 2. निजी कार्यालय / संस्थान 50 % क्षमता से संचालित हो सकेंगे।
- 3. जिम्नेशियम एवं फिटनेस सेंटर 50% क्षमता से प्रातः 06.00 बजें से रात्री 08.00 बजें तक संचालित हो सकेंगे।
- 4. समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शकों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
- 5. समस्त रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब 50% क्षमता से रात्री 10.00 बजें तक संचालित हो सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे।
- 6. विवाह आयोजनों में वर एवं वधु के 20–20 व्यक्तियों के साथ तथा अन्य 10 व्यक्ति (बैंड. पंडित आदि सिहत) कुल 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इस आयोजन हेतु पूर्व में व्यक्तियों की नामजद सूची संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम. को प्रदाय करना होगी। संबंधित क्षेत्र के एस. डी.एम. / सी.एस.पी. तथा थाना प्रभारी एवं थाना क्षेत्र के कार्यपालिक मिजस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्व पालन हो।

Additional District Magistrate
INDORE (M.P.)

 त्रमस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09.00 बजें से रात्री 08.00 बजें तक खुल सकेंगे।

8. सभी धार्मिक / पूजा स्थल में अब एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

(जिलादण्डाधिकारी द्वारा आदेशित)

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, Additiona अस्त्रमां झन्धोग्रांstrate INDORE (M.P.)

इन्दोर, दिनांक 16-06-2021

पृ*ं*क० /^{२१२०}/ री०ए०डी०एम० / 2021

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
- 3— पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
- 4— उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
- 5— आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
- 6— समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
- 8— समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
- 10— एस०डी०ओ०(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त), इन्दौर
- 11— उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
- 12- थाना प्रभारी, थाना......जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
- 13— उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषन हेतु अग्रेषित।
- 14— प्रमारी अधिकारी, एन,आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेत्।

15— प्रमारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी. Additionat Right (staff र)